अध्याय I: कार्यक्रम अवलोकन तथा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 प्रस्तावना

सिंचाई एक राज्य विषय है तथा इस क्षेत्र में भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की भूमिका मुख्य रूप से समग्र योजना, नीति निरूपण, समन्वय तथा मार्गदर्शन पर केन्द्रित है। राष्ट्र की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति सिंचाई के विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से की जाती है जिसमें मुख्य[1], मध्यम[2] सिंचाई (एम.एम.आई.) परियोजनाएं तथा लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाएं[3] सम्मिलित हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) का आरंभ 1996-97 के दौरान केंद्रीय सहायता कार्याक्रम के रूप में उन विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए किया गया था जो कि राज्यों की संसाधन क्षमता से परे थी तथा उन अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जो उन्नत स्तर पर थीं परन्तु राज्य सरकार द्वारा महसूस की जा रही संसाधनों की कमी के कारण विलंबित थी। हालांकि, तत्पश्चात कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र को अन्य राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में तथा विशेष वर्ग के राज्यों[4] (एस.सी.एस.) में एम.आई. योजनाओं को समाविष्ट करने के लिए समय-समय पर विस्तारित किया गया था।

1.2 कार्यक्रम विकास तथा डिजाइन

जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, 1996-97 में आरंभ किये गए ए.आई.बी.पी. का मुख्य लक्ष्य उन एम.एम.आई. परियोजनाओं की पूर्णता में तीव्रता लाना था, जो निर्माण के उन्नत स्तर पर थे। ओडिशा के के.बी.के.[5] जिलों के सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों व विशष श्रेणी राज्यों (एस.सी.एस.) की एम.आई. योजनाओं; विस्तार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) परियोजनओं तथा गैर-एस.सी.एस. के विशष क्षेत्रों[6] (एस.ए.) की एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए पिछले कई वर्षों में ए.आई.बी.पी. के अधीन क्षेत्र को धीरे-धीरे विस्तारित किया गया था।

अक्टूबर 2013 से, सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के उपयोग में वृद्धि हेतु कमांड क्षेत्र के विकास (सी.ए.डी.) कार्यों के समरूप कार्यान्वयन पर अतिरिक्त बल दिया गया था। 2015-16 के दौरान, ए.आई.बी.पी. को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के चार घटकों

1 क्लचर्रेबल कमांड क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता (आई.पी.) सहित परियोजनाएं।

2 सी.सी.ए. की 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर की आई.पी. सहित परियोजनाएं।

3 सी.सी.ए. की 2,000 हेक्टेयर से कम आई.पी. सहित परियोजनाएं।

4 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड)।

5 कोरापुट, बोलांगिर तथा कालाहांडी।

6 विशेष क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, मरूस्थलों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को दर्शाता है।

में से एक घटक बनाया गया था चो चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाएं भी शामिल हैं, की शीघ्र पूर्णता पर केन्द्रित था। एम.आई. योजनाओं को पी.एम.के.एस.वाई.–हर खेत को पानी के पृथक घटक का एक भाग बनाया गया था। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, 99[7] अपूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं को मिशन-प्रणाली मे पूर्णता हेतु चिन्हित किया गया था (जुलाई 2016) तथा उन्हें प्राथमिकता परियोजनाओं के रूप में संदर्भित किया गया था। सभी प्राथमिकता परियोजनाओं को प्राथमिकता-I (23), प्राथमिकता-II (31) तथा प्राथमिकता-III (45) परियोजनाओं में पृथक किया गया था और उनकी पूर्णता का कार्यक्रम क्रमशः मार्च 2017, मार्च 2018 और दिसंबर 2019 था।

1.3 संगठनात्मक संरचना

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर./मंत्रालय) कार्यान्वयन हेतु नीति दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें प्रमुख रूप से सिंचाई परियोजनाओं व योजनाओं के आयोजन एवं कार्यान्वयन से संबंधित हैं। ए.आई.बी.पी. के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका को दर्शाता हुआ एक चार्ट निम्नानुसार हैः-

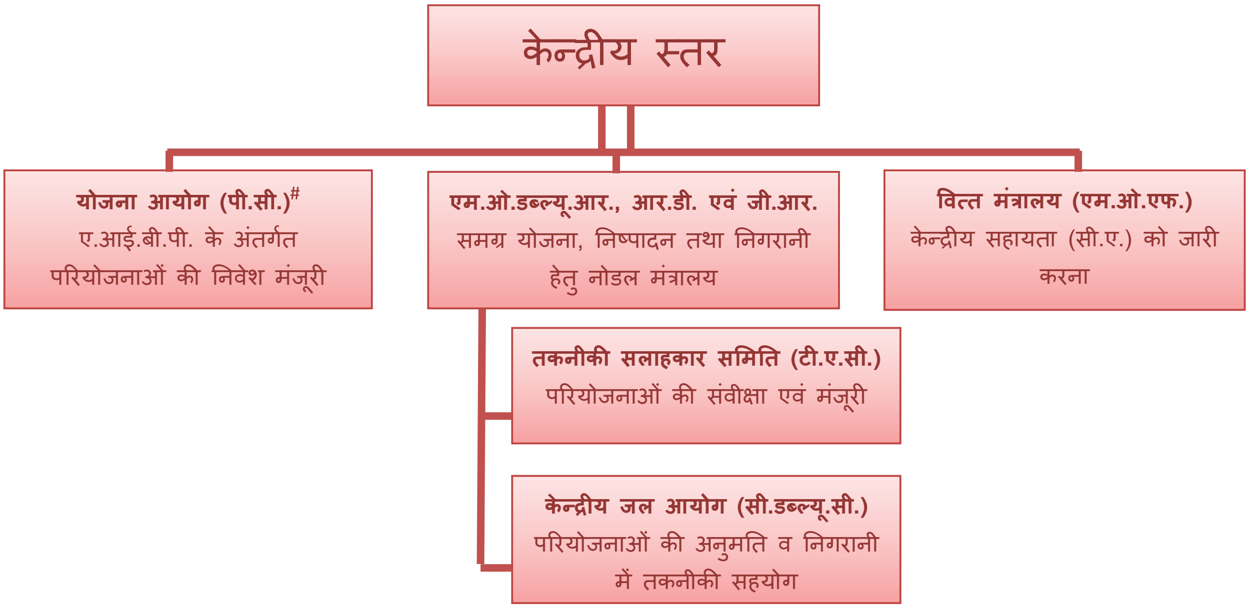

[7] पी.एम.के.एस.वाई. के आरंभ के समय, 149 परियोजनाऐं चालू थीं जिनमें पाँच राष्ट्रीय परियोजनाएं सम्मिलित थीं। 99 परियोजनाओं में दो राष्ट्रीय परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना तथा महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना) सम्मिलित हैं।

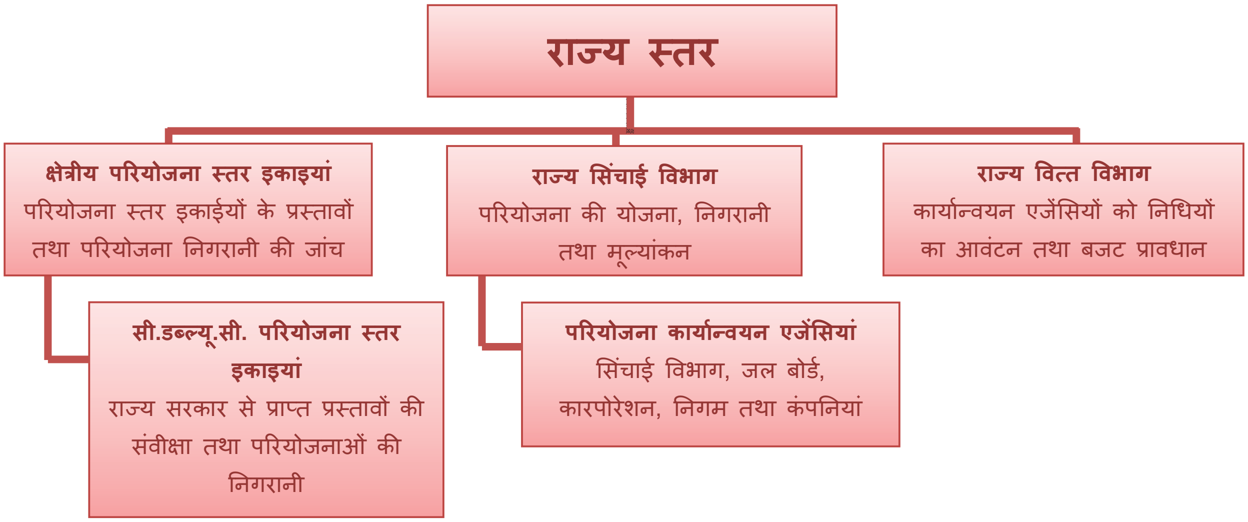

नीति आयोग (जनवरी 2015) के गठन के बाद से परियोजनाओं हेतु निवेश मंजूरी मंत्रालय द्वारा दी जा रही है।

पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक तीन-स्तरीय कार्यान्वयन संरचना बनाई गई थी (सितम्बर 2016), जिसका विवरण निम्नानुसार है।

- एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. के अपर सचिव/विशेष सचिव को मिशन निदेशक के रूप में **पी.एम.के.एस.वाई. मिशन** को अन्य बातों के साथ-साथ चिन्हित 99 एम.एम.आई. परियोजनाओं, जिसमें मिशन प्रणाली में उनकी सी.ए.डी. कार्य सम्मिलित है, को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व था।

- मिशन के कार्यों के समग्र कार्यान्वयन, समन्वय, नीति संबंधी मामले व निगरानी हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. तथा कृषि सहयोग व किसान कल्याण (ए.सी. व एफ.डब्ल्यू.) मंत्रालय के सचिवों को सदस्य के रूप में और सी.ई.ओ. नीति आयोग की अध्यक्षा में एक परिषद का गठन किया गया। बड़ी संख्या में परियोजनाओं वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अन्य राज्यों से बारी-बारी से एक मुख्य सचिव को सदस्य नियुक्त किया गया। **परिषद** का सदस्य सचिव मिशन निदेशक है।

- पी.एम.के.एस.वाई. के अन्य घटकों तथा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु वित्त मंत्री, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. मंत्री, ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यू. मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा उप अध्यक्ष (नीति आयोग) को सदस्य के रूप में रखते हुए एक **उच्च स्तरीय सशक्त समिति (एच.एल.ई.सी.)** गठित की गई थी।

1.4 ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

2008-17 (लेखापरीक्षा क्षेत्र की अवधि) के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 201 एम.एम.आई. परियोजनाएं थीं जिसमें से 47 एम.एम.आई. परियोजनाओं को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित किया गया था। इसी प्रकार से, 31 मार्च 2008 तक 2,808 एम.आई. योजनाएं चालू थीं तथा 8,483 योजनाओं को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 2008-17 के दौरान लिया गया था। एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं की राज्यवार संख्या ***अनुबंध 1.1*** में दी गई है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अवधि के दौरान अन्तर्निहित एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं का सार निम्न तालिका 1.1 में दिया गया हैः

तालिका 1.1: ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या

अवधि	एम.एम.आई. व ई.आर.एम. परियोजनाएं	एम.आई. योजनाएं
2008-09 तक चालू परियोजनाएं/योजनाएं	154	2,808
2008-09 से 2016-17 के दौरान सम्मिलित किए गए	47	8,483
2008-09 से 2016-17 के दौरान पूर्ण किए गए	62	8,014
31.03.2017 तक चालू ए.आई.बी.पी. परियोजनाएं/योजनाएं	139*	3,277

*चार स्थगित परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

1.5 ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

ए.आई.बी.पी. का मुख्य उद्देश्य एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राज्यों को उनके संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाना था ताकि सिंचाई योजना व परियोजनाओं की त्वरित पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निधिकरण की व्यवस्था भी कार्यक्रम के आरंभ (अक्टूबर 1996) से विकसित हुई थी तथा उसे निम्न तालिका 1.2 में संक्षिप्त किया गया है।

तालिका 1.2 निधिकरण संरचना में परिवर्तन

महीना/वर्ष	निधिकरण के लिए मानदंड
अक्टूबर 1996	केन्द्र व राज्यों की बीच 1:1 आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के रूप में एम.एम.आई. परियोजनाओं का निधिकरण।
अप्रैल 1997	केन्द्र व राज्यों के बीच 2:1 आधार पर एस.सी.एस. हेतु एम.एम.आई. परियोजनाओं के लिए निधिकरण।
अप्रैल 1999	केन्द्र व राज्यों के बीच 3:1 आधर पर एस.सी.एस. के एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं दोनों के लिए निधिकरण।

फरवरी 2002	• 4:1 आधार पर निधिकरण सहित राज्य सुधार[8] की संकल्पना का आरंभ किया गया। • एस.सी.एस. हेतु 100 प्रतिशत सी.एल.ए. का प्रावधान जिसमें ओडिशा के के.बी.के. जिले सम्मिलित हैं।
अप्रैल 2004	सी.एल.ए. को परियोजना की पूर्णता पर सामान्य राज्यों हेतु 30 प्रतिशत अनुदान/70 प्रतिशत ऋण पर तथा एस.सी.एस. हेतु 90 प्रतिशत अनुदान/10 प्रतिशत ऋण पर परिवर्तित किया जाना है।
अप्रैल 2005	ऋण घटक राज्यों द्वारा बढाए जाने हैं तथा अनुदान घटक केन्द्र द्वारा दिया जाना है।
दिसंबर 2006	एस.सी.एस. के अतिरिक्त, एस.ए. जैसे जनजातीय क्षेत्रों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) व बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों तथा के.बी.के. जिलों पर 90 प्रतिशत का अनुदान (सी.ए.) भी लागू किया गया है जबकि अन्य सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए अनुदान 25 प्रतिशत होगा।
अक्टूबर 2013	एस.ए. जैसे डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों, गैर-एस.सी.एस. के बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक सी.ए. को अनुदान के रूप में घटा दिया गया। अन्य सभी राज्यों में व्यवस्था अपरिवर्तित रही।
अक्टूबर 2015	एस.ए. जैसे सूखा प्रवृत्त/मरूस्थल/जनजातीय व गैर-एस.सी.एस. में बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में परियोजना लागत के 60 प्रतिशत सी.ए. तथा अन्य क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत का प्रावधान है। अन्य सभी क्षेत्रों हेतु प्रावधान अपरिवर्तित रहा।
जुलाई 2016	₹ 20,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि सहित दीर्घावधि सिंचाई निधि के निर्माण द्वारा नाबार्ड के माध्यम से 99 प्राथमिकता परियोजनाओं के निधिकरण हेतु प्रावधान।

(स्रोत: मंत्रालय)

राज्यों को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु सी.ए. ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों[9] पर आधारित अनुदान के रूप में दी जाती है। 2008-17 के दौरान, जी.ओ.आई. ने ₹ 41,143 करोड़[10] कार्यक्रम हेतु सी.ए. के रूप में जारी किए, जिसमें 197 एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 28,334 करोड़ तथा 11,291 एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 12,809 करोड़ सम्मिलित है। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, प्राथमिकता परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल आवश्यक केन्द्रीय सहायता ₹ 31,342 करोड़ अनुमानित थी।

---

8 वर्ष-वार प्रति हेक्टेयर संचालन एवं रख-रखाव (ओ. & एम.) लागत तथा निवल राजस्व संग्रहण, एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 225 प्रति हेक्टेयर तथा तीन वर्षों के अंतराल के बाद एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 450 प्रति हेक्टेयर की दर से पानी की दरों में वृद्धि और पाँच वर्षों के बाद परियोजनाओं के सभी वर्गों हेतु (ओ. & एम.) लागत की पूर्ति करने के लिए पानी की दरों में वृद्धि।

9 केंद्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) नवंबर 2006 से पहले दी गई थी। दिसंबर 2006 से सी.ए. को केवल अनुदान के रूप में दिया गया।

10 2016-17 के दौरान नाबार्ड से ऋण के रूप में ₹ 2,421 करोड़ सम्मिलित है।

20[11] राज्यों के संदर्भ में 2008-17 के दौरान सूचित व्यय तथा दिया गया सी.ए. व राज्य के हिस्से का राज्य-वार विवरण ***अनुबंध 1.2*** में दिया गया है। एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं के लिए दिए गए सी.ए. का विवरण ***अनुबंध 1.3*** में दिया गया है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं के लिए जारी की गई निधियों की संक्षिप्त स्थिति तथा 20 राज्यों के संबंध में प्रतिवेदित व्यय जिसके लिए पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई थी, को निम्न तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: ए.आई.बी.पी. पर वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा	जारी किया गया राज्य का हिस्सा	कुल जारी की गई राशि	सूचित व्यय
2008-09 से 2016-17	41,143	56,805.84	97,985.32	92,522.39
स्रोत: केन्द्र द्वारा जारी राशि मंत्रालय के अभिलेखों पर आधारित हैं जबकि राज्य के हिस्से व सूचित व्यय को केवल 20 राज्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संकलित किया गया है।				

1.6 परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य वार विवरण तथा उनकी स्वीकृत लागत

201 एम.एम.आई. परियोजनाएं, जो कि 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. का भाग थीं, की कुल स्वीकृत लागत ₹ 2,22,799.98 करोड़ थी। एम.एम.आई. परियोजनाओं के राज्य वार वितरण का विश्लेषण दर्शाता है कि नौ राज्यों जैसे महाराष्ट्र (48); मध्यप्रदेश (19); कर्नाटक (17); तेलंगाना (13); जम्मू एवं कश्मीर (13); आंध्रप्रदेश (12); ओडिशा (11); उत्तरप्रदेश (नौ) तथा झारखंड (आठ) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाओं के 75 प्रतिशत हेतु लेखाबद्ध थे। स्वीकृत लागत के संबंध में, गुजरात (24.71 प्रतिशत), महाराष्ट्र (16.07 प्रतिशत), तेलंगाना (11.05 प्रतिशत), कर्नाटक (10.76 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (7.14 प्रतिशत), ओडिशा (7.11 प्रतिशत), राजस्थान (4.50 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (4.49 प्रतिशत) तथा झारखंड (3.26 प्रतिशत) वित्तीय संदर्भ में परियोजनाओं के प्रमुख हिस्से हेतु लेखाबद्ध थे। इन राज्यों तथा शेष राज्यों के बीच परियोजनाओं का वितरण व स्वीकृत लागत चार्ट 1 में दर्शायी गई है।

[11] पांच राज्यों जैसे कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के संबंध में राज्यों के हिस्से की रिहाई पर विवरण राज्यों/मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

चार्ट 1: 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाएं

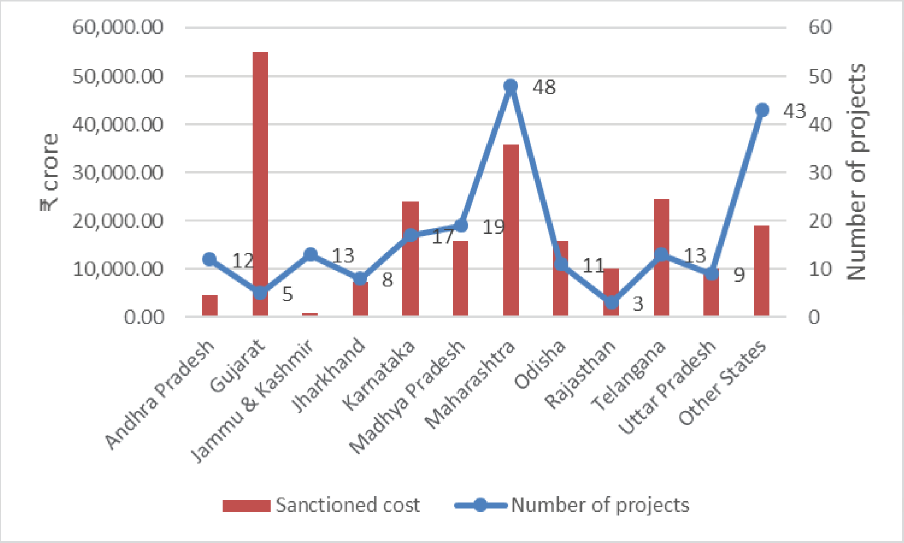

11,291 एम.आई. योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹ 16,800.78 करोड़ थी। इनमें से, प्रमुख हिस्सा उत्तरपूर्वी राज्यों (47.82 प्रतिशत) इसके बाद पर्वतीय राज्यों (14.60 प्रतिशत) तथा अन्य राज्यों (37.58 प्रतिशत) हेतु आंवाटित किया गया था। एम.आई. योजनाओं का वितरण तथा इन राज्यों की स्वीकृत लागत चार्ट 2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 2: 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.आई. योजनाएं

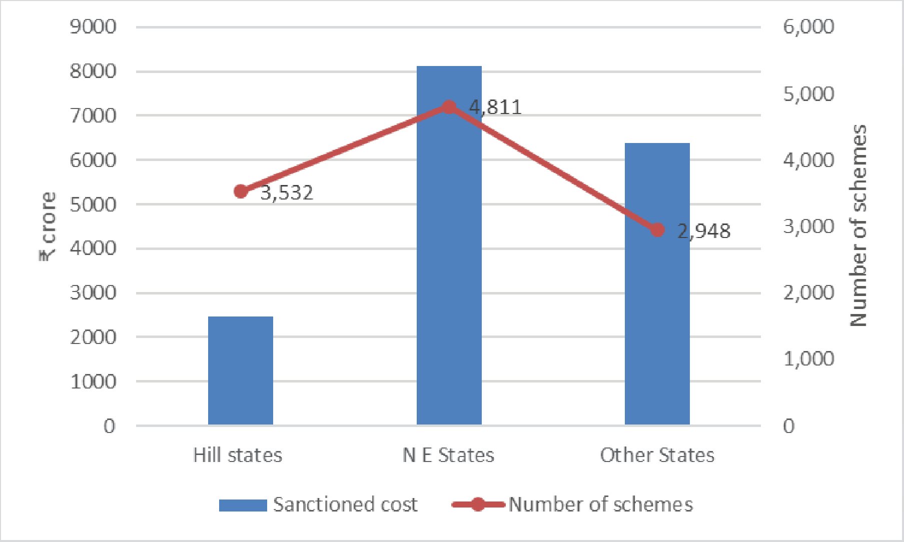

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने ए.आई.बी.पी. की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न को जाँचने व निर्धारित करने के लिए की:

- लक्षित आई.पी. निर्माण तथा उसके उपयोग को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम की योजना पर्याप्त थी;
- क्या निधियाँ पर्याप्त थीं, समय पर उपलब्ध व उचित रूप से उपयोग की जा रही थीं;
- क्या जल के सतत प्रबंधन तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए परियोजनाओं को एक लाभदायक, कुशल एवं प्रभावी तरीके से निष्पादित किया गया था;
- क्या परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी थे; तथा
- क्या पी.ए.सी. की पूर्व अनुशंसाओं के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन का अनुपालन व कार्यान्वयन किया गया था।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत निम्नानुसार थेः

- ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की तैयारी हेतु केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राज्य व केन्द्र सरकार के बीच परियोजनावार समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.);
- राज्य पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल/राज्य अधिप्राप्ति मैनुअल;
- सामान्य वित्तीय नियम;
- एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. तथा सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्र/निर्देश; तथा
- पी.एम.के.एस.वाई. दिशानिर्देश

1.9 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा नमूना चयन

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में हमने 25[12] राज्यों की 2008-09 से 2016-17 की अवधि से संबंधित एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित किया है। रैंडम आधार पर 201 परियोजनाओं में से 118 एम.एम.आई. परियोजनाओं के नमूने का चयन इस शर्त के अधीन किया गया था कि प्रत्येक राज्य में 50 प्रतिशत परियोजनाओं में नमूना क तथा नमूना ख के समूह के अंतर्गत प्राथमिकता-I परियोजनाओं का कम से कम एक तथा 100 प्रतिशत का चयन सम्मिलित हो। नमूना क में 47 परियोजनाओं में से ली गई 30 एम.एम.आई. परियोजनाएं (छह प्राथमिकता-I, छह प्राथमिकता-II, नौ प्राथमिकता-III तथा नौ अन्य परियोजनाएं) जिन्हें 2008-17 में सम्मिलित किया गया था समाविष्ट हैं जबकि नमूना

[12] हमने प्रत्येक 21 राज्यों में एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित किया है। एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं दोनों के लिए कुल 25 राज्यों को सम्मिलित किया गया था।

ख में शेष 154 परियोजनाओं में ली गई 88 एम.एम.आई. परियोजनाएं (15 प्राथमिकता-I, नौ प्राथमिकता-II, 18 प्राथमिकता-III तथा 46 अन्य परियोजनाएं) सम्मिलित हैं। चयनित 118 एम.एम.आई. परियोजना कुल एम.एम.आई. परियोजनाओं का 58 प्रतिशत है।

2008-17 की अवधि से संबंधित 11,291 चालू एवं पूर्ण एम.आई. योजनाओं में से रैंडम आधार पर 335 योजनाओं जो योजनाओं की कुल संख्या का तीन प्रतिशत है, का एक नमूना ग इस शर्त के अधीन लिया गया था कि प्रत्येक राज्य में पांच प्रतिशत पूर्ण एवं चालू परियोजनाओं के अधीन अधिकतम 15 चालू एवं पूर्ण योजनाओं का चयन किया हो। तीनों नमूनों के अंतर्गत राज्यवार संख्या तथा परियोजनाओं/योजनाओं का नमूना ***अनुबंध 1.4*** में दिया गया है।

चयनित 118 एम.एम.आई. परियोजनाएं जिनकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 1,80,145.79 करोड़ है, में पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत 64 प्राथमिकता (21 प्राथमिकता-I, 15 प्राथमिकता-II तथा 28 प्राथमिकता-III) परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, 118 नमूने में लिए गए एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 25 एम.एम.आई. परियोजनाएं एस.सी.एस. तथा ओडिशा के के.बी.के. क्षेत्रों से संबंधित हैं और 40 परियोजनाएं गैर-एस.सी.एस. में विशेष क्षेत्रों तथा प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित कृषि परेशानी वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन 118 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से, 31 मार्च 2017 तक 30 परियोजनाएं पूर्ण थीं, तीन आस्थगित थीं तथा 85 चालू थीं। जी.ओ.आई. ने 115 नमूने में लिए गए एम.एम.आई. परियोजनाओं[13] हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 19,184 करोड़ जारी किए तथा 2008-17 के दौरान इन परियोजनाओं पर किया व्यय ₹ 62,801 करोड़ था।

335 चयनित एम.आई. योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹ 1,680.55 करोड़ थी, जिनमें से 31 मार्च 2017 तक 213 पूर्ण थी तथा 122 चालू थीं। 2008-17[14] के दौरान 335 एम.आई. योजनाओं के विरूद्ध ₹ 1,591.71 करोड़ का व्यय हुआ।

नमूने में शामिल एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं हेतु राज्य-वार जारी होने तथा व्यय होने का वितरण ***अनुबंध 1.5*** में दिया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एम.आई. योजनाओं के मामले में सी.ए. योजनाओं के समूह हेतु दी गई थी न की व्यक्तिगत योजनाओं हेतु।

[13] 2008 से पहले की तीन आस्थगित परियोजनाएं।

[14] परियोजना प्राधिकारियों द्वारा योजना-वार सी.ए. का जारी होना प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा का आरंभ 12 अप्रैल 2017 को मंत्रालय के साथ हुए प्रवेश सम्मेलन के साथ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति की व्याख्या की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अप्रैल से सितंबर 2017 तक आयोजित की गई थी। केन्द्रीय स्तर पर परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृति, निधिकरण, निगरानी व मूल्यांकन में सम्मिलित ऐजन्सियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मंत्रालय तथा सी.डब्ल्यू.सी. से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई थी। 25 राज्यों में राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित राज्यों के संबंध में चयनित परियोजनाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन, निष्पादन, निगरानी व मूल्यांकन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप 30 नवंबर 2017 को मंत्रालय को जारी किया गया था तथा उनकी टिप्पणियाँ 09 फरवरी 2018 को प्राप्त हुई। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 15 फरवरी 2018 को एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। रिपोर्ट को समापन सम्मेलन में हुई चर्चाओं के आधार पर संशोधित किया गया और मंत्रालय को उनके आगे की टिप्पणियों के लिए जारी (जुलाई 2018) किया गया था। संशोधित रिपोर्ट पर मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

1.11 पिछले लेखापरीक्षा जाँच परिणाम तथा लोक लेखा आयोग की अनुशंसाएं

ए.आई.बी.पी. की पहले भी दो अवसरों पर लेखापरीक्षा में जाँच की गई थी। प्रथम लेखापरीक्षा मे उत्पन्न लेखापरीक्षा जाँच परिणाम को 2004 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 15 (संघ सरकार-निष्पादन मूल्यांकन) में प्रतिवेदित किया गया था। ए.आई.बी.पी. की दूसरी लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम को 2010-11 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में प्रतिवेदित किया गया था। 2010-11 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में समाविष्ट जाँच परिणामों को लोक लेखा समिति द्वारा विस्तृत जाँच हेतु लिया गया तथा इस विषय पर उनकी अनुशंसाऐं 68वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई थीं। वर्तमान प्रतिवदन में लोक लेखा समिति तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षा जाँच परिणामों के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन ***अनुबंध 1.6*** में दिया गया है।

1.12 अभीस्वीकृति

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर., केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) तथा राज्य सरकार विभागों द्वारा दिए गए सहयोग को अभिस्वीकृत करते हैं।